RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-04
Issue-01
January -2019

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com [UGC Listed Journal]

रोजगार का अधिकार एवं भारतीय शिक्षा प्रणाली : एक विवेचना

शिव प्रताप यादव

शोधछात्र, राजनीति एवं लोकप्रशासन विभाग, डॉ शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ (उ०प्र०)

ARTICLE DETAILS

Article History
Published Online: 10 January 2019

Keywords
आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक

ABSTRACT

काम करने का अधिकार यह अवधारणा है कि लोगों के पास काम करने का मानव अधिकार है , या उत्पादक रोजगार में संलग्न है , और ऐसा करने से रोका नहीं जा सकता है। काम करने का अधिकार में निहित है मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और आर्थिक , सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध में शामिल होने के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में मान्यता प्राप्त है, जहां काम करने का अधिकार आर्थिक , सामाजिक और सांस्कृतिक विकास पर जोर देता है।

परिभाषा (Definition)

हर किसी को काम करने का अधिकार है , रोजगार की पसंद मुक्त करने के लिए , काम की केवल और अनुकूल स्थितियों और बेरोजगारी के खिलाफ सुरक्षा के लिए।

भारतीय संविधान के तहत काम करने का अधिकार:

जीवन को जीवित बनाने वाले कारकों को छोड़कर , यह आर्थिक दुनिया का व्यावहारिक सत्य है कि किसी को जीवित रहने में सक्षम होने के लिए जीवित कमाई करनी चाहिए। श्रम शक्ति को छोड़ दें , आर्थिक संपत्ति असमान रूप से वितरित की जाती है इसलिए हम में से प्रत्येक को परस्पर निर्भरता मिलती है। नतीजतन, किसी को भी काम करना चाहिए अन्यथा जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाएगा। दुनिया देने और लेने की नीति के आधार पर आगे बढ़ रही है। और चूंकि हम बार्टर सिस्टम से काफी लंबा सफर तय कर चुके हैं , जो वर्तमान समय में संसाधनों के ऐसे आदान-प्रदान को सक्षम बनाता है , जिसके लिए किसी को 'काम' करना चाहिए, वह पैसा है।

'काम करने का अधिकार ' जीने में सक्षम होने के लिए जीवन का सबसे आवश्यक तत्व है। भोजन , पानी, कपड़ों और आश्रय की बुनियादी आवश्यकता की पूर्ति को सक्षम करने के लिए और जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं के मुकाबले कुछ और भी कमाई करने के लिए काम करना चाहिए।

श्रम और रोजगार कानून

जैसे-जैसे रोजगार की तलाश में लोग जाते है , यह महत्वपूर्ण है कि वह ऐसे रोजगार से संबंधित अपने अधिकारों और देनदारियों से अवगत हो।

श्रम कानून रोजगार को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। इन कानूनों में कार्य परिस्थितियों , मजदूरी, कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों के संबंध में प्रावधान होते हैं। वहां कई केंद्र और राज्य कानून बनाते हैं जिसका उद्देश्य कर्मचारियों / श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा करना है। इसलिए यह अनिवार्य है कि नियोक्ता और कर्मचारी के बीच अनुबंध और कानून के साथ-साथ प्रचलित श्रम कानूनों के प्रावधानों का पालन करते हो ।

श्रम मुद्दों को संबोधित करने वाले केंद्रीय कानून:

केंद्रीय कानून(Central law)

1. कारखानों अधिनियम, 1948।
2. औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946।
3. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948।
4. मजदूरी अधिनियम, 1936 का भुगतान।
5. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947।
6. कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952।
7. ग्रैच्युइटी अधिनियम, 1972 का भुगतान।
8. बोनस अधिनियम, 1965 का भुगतान।
9. प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961।
10. श्रमिक मुआवजे अधिनियम, 1923।
11. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976।

भारतीय शिक्षा प्रणाली

भारतीय शिक्षा का इतिहास भारतीय सभ्यता का भी इतिहास है। भारतीय समाज के विकास और उसमें होने वाले

RRIJM 2015, All Rights Reserved

परिवर्तनों की रूपरेखा में शिक्षा की जगह और उसकी भूमिका को भी निरंतर विकासशील पाते हैं। सूत्रकाल तथा लोकायत के बीच शिक्षा की सार्वजनिक प्रणाली के पश्चात हम बौद्धकालीन शिक्षा को निरंतर भौतिक तथा सामाजिक प्रतिबद्धता से परिपूर्ण होते देखते हैं। बौद्धकाल में स्त्रियों और शूद्रों को भी शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित किया गया।

प्राचीन भारत में जिस शिक्षा व्यवस्था का निर्माण किया गया था वह समकालीन विश्व की शिक्षा व्यवस्था से समुन्नत व उत्कृष्ट थी लेकिन कालान्तर में भारतीय शिक्षा का व्यवस्था ह्रास हुआ। विदेशियों ने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को उस अनुपात में विकसित नहीं किया , जिस अनुपात में होना चाहिये था। अपने संक्रमण काल में भारतीय शिक्षा को कई चुनौतियों व समस्याओं का सामना करना पड़ा। आज भी ये चुनौतियाँ व समस्याएँ हमारे सामने हैं जिनसे दो-दो हाथ करना है।

भारतीय शैक्षिक प्रशासन

किसी भी देश का शैक्षिक प्रशासन बहुधा उसके राष्ट्रीय हितों के अनुरूप सुनिर्देशित प्रयोजनों से सम्बंधित होता है। ब्रिटिश शासन काल में भारत की शैक्षिक नीति एवं प्रशासन विदेशी सत्ता द्वारा संचालित होने के कारण राष्ट्रीय परंपराओं संस्कृति तथा देशवासियों की आवश्यकताओं के अनुकूल न था।

भारत सरकार का शैक्षिक प्रशासन , 1919 के अधिनियम से पूर्व पूर्णत: केंद्रीकृत था। इस अधिनियम से आंशिक प्रादेशिक स्वायता प्रदान की गई और तदुपरांत शिक्षा प्रादेशिक मंत्रालयों के अधीन एक अंतरित विषय बन गई। समुचित समन्वय के अभाव में वित्तीय कठिनाइयों के साथ ही इससे प्रादेशिकता की भावना जाग्रत हुई। महत्वपूर्ण विषयों पर सलाह देने के लिये एक केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल की स्थापना 1921 में की गई, पर दो वर्ष उपरांत इसे भंग कर दिया गया। किंतु 1935 में इसकी पुन: स्थापना हुई। भारतीय शैक्षिक सेवा में भर्ती 1816 में प्रारंभ की गई थी किंतु 1954 में इसे स्थगित कर दिया गया। भारत सरकार के 1935 के अधिनियम ने राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की और इसके फलस्वरूप भारतीय शिक्षा मंत्री अधिकार-संपन्न हो गए। 1945 से भारत सरकार में शिक्षा के लिए पृथक् विभाग की स्थापना की गई और 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत मौलाना अबुल कलाम अजाद के मंत्रित्व में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की स्थापना हुई।

भारतीय संविधान के निर्माण के समय सन् 1977 से शिक्षा तथा विश्वविद्यालय राज्य सूची के अंतर्गत रखे गए। केंद्र की गतिविधियों का केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा राष्ट्रीय महत्व की वैज्ञानिक और प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के परस्पर समन्वय तथा उच्च शिक्षा अथवा अनुसंधान एवं वैज्ञानिक और प्राविधिक संस्थाओं के मानकों के संकल्प तक सीमित कर दिया गया।

व्यावसायिक तथा श्रमिकों को प्राविधिक शिक्षण केंद्र तथा राज्यों की समवर्ती सूची में रखा गया।

यह अनुभव किया जाता है कि इस नवीन प्रजातंत्र में शैक्षिक प्रशासन का मुख्य कार्य शिक्षा को मानवीय रूप देना एवं जनता को प्रजातांत्रिक विधियों एवं स्थितियों में प्रशिक्षित करना है। नए शिक्षकों तथा निरीक्षण अधिकारियों को ऐसी विशिष्ट दृष्टि से संपन्न करना है , जिससे कि वे सत्ता की धाक जमाए बिना ही शिक्षार्थियों को प्रेरित कर सकें। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत देश की परिवर्तित परिस्थतियों के अनुकूल शैक्षिक प्रशासन के सुधार की ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा सका।

वर्तमान काल में राज्यों में शिक्षा की व्यवस्था राज्य के शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में की जाती है, जिसके अधीन अनेक उपनिदेशक एवं सहायक होते हैं। राज्य अनेक मंडलों अथवा अंचलों में विभक्त होता है , प्रत्येक मंडल के अंतर्गत अनेक जिले होते हैं। प्रत्येक मंडल एक निरीक्षक के अधीन तथा हर जिला स्कूल निरीक्षक के अधीन होता है।

इससे निम्न स्तर पर नागरिक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्राय: प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था स्थानीय निकायों द्वारा की जाती है। पंचायती राज्य के प्रादुर्भाव तथा प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के कारण इन निकायों का विशेष महत्व है।

विविध स्तरों पर शिक्षण संस्थाओं के नियंत्रण तथा प्रशासन में प्रवृत स्वैच्छिक अभिकरण भी इस प्रसंग में उल्लेखनीय हैं। सरकारी प्रशासन इन अभिकरणों को मान्यता प्रदान कर अथवा वित्तीय सहायता देकर इन पर नियंत्रण रखता है।

केंद्रीय शिक्षामंत्री राज्यों के शैक्षिक प्रशासन पर परोक्ष रूप से नियंत्रण रखता है। वह समन्वय स्थपना तथा स्तरों में सुधार के अतिरिक्त अन्य विषयों से संबंधित निर्देश नहीं देता। किंतु केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड तथा भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद् तथा अन्य समानांतर निकायों के अध्यक्ष के नाते वह इन निकायों के राज्यप्रतिनिधि शिक्षा मंत्रियों को रष्ट्रीय शिक्षानीति में एकरूपता की स्थापना के लिये अवश्य प्रभावित करता है।

निष्कर्ष:

फुटपाथ के निवासियों और झुग्गी झोपड़ियों के विध्वंस को रोकने के संघर्ष के रूप में शुरू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के साथ 'मौलिक अधिकार' को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने के साथ समाप्त हुआ। इसके बाद , भारतीय क्षेत्र के भीतर प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के रोजगार में नियोजित करने के अधिकार के साथ, कानूनी प्रतिबंधों के अधीन, उन्हें अपने जीवन से वंचित रखने से बचाने के अधिकार प्रदान करते हैं। इसके

RRIJM 2015, All Rights Reserved

अलावा, अधिकार किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार नियोजित होने से किसी व्यक्ति के रोजगार या वंचित होने से हटाने से रोकता है।

इससे शिक्षित लोगों की बेरोजगारी में कमी आएगी और शिक्षित लोगों का समाज में मान-सम्मान होगा। इस शिक्षा प्रणाली से विद्यार्थियों का सर्वंगीण विकास होगा और यह भविष्य के निर्माण के लिए भी सहायक होगी। इस प्रणाली को पूरी तरह से सफल बनाने का भार हमारे शिक्षकों पर है।

सरकार को इस बात पर ध्यान देना होगा कि योग्य विद्यार्थी ही शिक्षक बने क्योंकि वो ही उत्तम शिक्षा दे पाएंगे। नई शिक्षा नीति में इस बात पर बल दिया गया है योग्य शिक्षक ही शिक्षा जगत में प्रवेश कर सकते हैं। इसके साथ इस बात पर भी बल दिया गया है कि विद्यार्थियों को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर मिलें।

सन्दर्भ ग्रन्थ :

1. शिक्षा के क्षेत्र में हैं रोज़गार के ज्यादा अवसर : एसोचेम सर्वे
2. शिक्षा के क्षेत्र में कॅरियर : archive.india.gov.in
3. शिक्षा और रोज़गार को जोड़ने की जरूरत : http://www.digantar.org
4. कुमार, राजीव, कुमार नरेन्द्र (2003) "तकनीकी व व्यावसायिक षिक्षा: वर्तमान युग की मूलभूत आवष्यकता " भारतीय आधुनिक षिक्षा, एन॰सी॰ई॰आर॰टी॰ अप्रैल
5. कुषवाह, आर॰एस॰ (1993) "कार्यानुभव और व्यावसायिक षिक्षा संकल्पना एवं स्वरूप ", शैक्षिक पलाष , म॰प्र॰ राज्य षिक्षक प्रषिक्षण मंडल, भोपाल,
6. ग्रेवाल, जे॰एस॰ वोकेषनल एनवायरोमेन्ट एण्ड एज्यूकेषन च्योइस, नेषनल सायकोलोजीकल कार्पोरेषन, आगरा
7. मिश्र, अरूण कुमार (1986) "षिक्षा का व्यावसायीकरण ", भारतीय आधुनिक षिक्षा श॰षै॰अ॰प्र॰प॰ वर्ष चतुर्थ, अंक प्रथम जुलाई
8. मिश्र, अरूण कुमार (1986) "व्यावसायिक षिक्षा की चुनौती", शैक्षिक पलाष, राज्यषिक्षक प्रषिक्षण मण्डल, म॰प्र॰ वर्ष 21, अंक 7-9, जनवरी - मार्च

RRIJM 2015, All Rights Reserved